1225

उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड
(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)
U.P.Power Corporation Limited
(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)
CIN : U32201UP1999SGC024928
शक्ति भवन विस्तार, 14–अशोक मार्ग, लखनऊ–226001

संख्याः–4095–औसं/2016–19(125)ए0एस0/2001 दिनांकः 13 अक्टूबर, 2016

कार्यालय ज्ञाप

एतद्द्वारा उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 के त्रुटिपूर्ण विघुतीय अधिष्ठापन के सम्पर्क में आने से बाहरी व्यक्तियों व पशुओं की घातक एवं साधारण दुर्घटना से हुई अपंगता पर अनुग्रह धनराशि अनुमन्य किये जाने सम्बन्धी कार्यालय ज्ञाप संख्या–464–औसं/2016–19(125)ए0एस0/01 दिनांक 03.02.2016 एवं कार्यालय ज्ञाप संख्या–2745–औसं/2016–19(125)ए0एस0/01 दिनांक 02.07.2016 के अनुक्रम में अनुग्रह धनराशि के पुनर्निधारण हेतु उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 के निदेशक मण्डल की 126वीं बैठक में लिये गये निर्णयानुसार दैवीय आपदाओ हेतु निर्धारित व्यवस्था के अनुरूप अनुग्रह धनराशि निम्नवत पुनः निर्धारित की जाती है :–

(क) **घातक मानवीय दुर्घटना में रू0 4.00 लाख के स्थान पर रू0 5.00 लाख अनुमन्य किया जायेगा।**

(ख) **दुधारू पशु**

(अ) भैंस, गाय, ऊँट, याक आदि की मृत्यु होने पर वर्तमान में निर्धारित रू0 16400/– के स्थान पर रू0 30,000/– अनुमन्य किया जायेगा।

(ब) भेड़, बकरी, सुअर आदि की मृत्यु होने पर वर्तमान में निर्धारित रू0 1650/– के स्थान पर रू0 3,000/– अनुमन्य किया जायेगा।

(ग) **दुधारू पशुओं के अतिरिक्त पशु**

(अ) ऊँट, घोड़ा, बैल आदि की मृत्यु होने पर वर्तमान में निर्धारित रू0 15,000/– के स्थान पर रू0 25,000/– अनुमन्य किया जायेगा।

(ब) बछड़ा, गधा, खच्चर आदि की मृत्यु होने पर वर्तमान में निर्धारित रू0 10,000/– के स्थान पर रू0 16,000/– अनुमन्य किया जायेगा।

इस सम्बन्ध में पूर्व आदेश संख्या–4570–औसं/17/पाकालि/2004–19(51)ए0एस0/04, दिनांक 25.09.2004 आदेश संख्या–464–औसं/16–19(125)ए0एस0/01 दिनांक 03.02.2016 एवं आदेश संख्या–2745–औसं/ 2016–19(125)ए0एस0/01 दिनांक 02.07.2016 के अन्य प्राविधान यथावत रहेगें।

निदेशक मण्डल की आज्ञा से,
निदेशक (कार्मिक प्रबन्धन एवं प्रशासन)

.....2...../–

ELLE ACCIDENT

<u>संख्याः–4095–औसं/2016 तद्‌दिनांक :–</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. प्रमुख सचिव, ऊर्जा विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
2. समस्त प्रबन्ध निदेशक, पूर्वान्चल/पश्चिमाँचल/मध्याँचल/दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि0, केस्को/वाराणसी/मेरठ/लखनऊ/आगरा/कानपुर।
3. मुख्य अभियन्ता (जल विद्युत), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड।
4. समस्त मुख्य अभियन्ता (वितरण), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड को इस आशय से कि वे अपने स्तर से उक्त आदेश की प्रति अधिनस्थ अधिकारियों/इकाईयों को उपलब्ध करा दें।
5. समस्त उप महाप्रबन्धक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड।
6. समस्त अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड।
7. महाप्रबन्धक, लेखा एवं सम्प्रेक्षा, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड।
8. उप महाप्रबन्धक (लेखा), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड।
9. समस्त वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी/कार्मिक अधिकारी, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड।
10. अनुसचिव, कार्मिक वित्त नीति, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड।
11. कारपोरेशन (मु0), शक्ति भवन के समस्त अधिकारी/अनुभाग/शिविर।
12. कम्पनी सचिव, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड।
13. अधिशासी अभियन्ता (वेब), कक्ष संख्या–407, शक्ति भवन, लखनऊ को कारपोरेशन की वेब साइट **WWW.uppcl.org** पर लोड करने हेतु।
14. कट फाइल/पत्रावली संख्या–8–एम/92।

(कौशल चन्द्र सक्सेना)
<u>महाप्रबन्धक (औ0सं0)</u>